MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय जयपुर फोन नं. 0141–2227275,**Email-seprd 123@gmail.com**

प. 27 (83) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/बीएसआर सॉफ्टवेयर /बेसिक दर तुलना/2015–16 जयपुर दिनांक 22/5/15

जिला कलेक्टर एवं
अध्यक्ष, जिला दर निर्धारण समिति,
समस्त राजस्थान।

विषयः–पंचायत समिति दर अनुसूची में अनुमोदित श्रम, सामग्री व उपकरण की बेसिक दरों की समीक्षा करने एवं सुसंगत दरों के निर्धारण करने बाबत।

प्रसंगः–विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 906 दिनांक 13.5.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय सॉफ्टवेयर से सृजित दर अनुसूची तैयार करने में आप द्वारा अनुमोदित श्रम/सामग्री/उपकरणों की बेसिक दरों की राज्य स्तर पर तुलनात्मक समीक्षा के दौरान काफी अन्तर पाया गया है। इस संबंध में जिला/खण्ड स्तर पर समुचित समीक्षा करने व सुसंगत दरों के पुनःनिर्धारण करने बाबत प्रासांगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है।

दिनांक 18.5.2015 को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एवं सहायक अभियन्ता (सी.डी.) जिला परिषद को भी आईटमवार निर्धारित दरों में पाई गई असमानता/विसंगतियों के बारे में विस्तार से सूचित करते हुए जिला स्तर पर पुनः समीक्षा करने अन्य जिलों/संभाग से तुलनात्मक अध्ययन करने एवं आवश्यक होने पर पुनः दर निर्धारण करने बाबत स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। इसके साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिक दर प्रस्तावित करने वाले कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार विभागी कार्यवाही की जावेगी।

आपसे पुनः अनुरोध है अनुमोदित श्रम, सामग्री व उपकरण की बेसिक दरों की पुनः समीक्षा करते हुए आवश्यक होने पर आईटम की सुसंगत दरों का निर्धारण कराया जावे एवं आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना दिनांक 31.5.2015 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रम, सामग्री व उपकरण की निर्धारित बेसिक दरों की राज्य स्तर पर एक माह बाद पुनः समीक्षा की जावेगी।

भवदीय,

22/5/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्धारण समिति जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

22/5

अधिक्षण अभियन्ता (प्रो0)